अन्तिम डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मोरीजा)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व

अजलास अशोक कुमार योगी आरएएस

1 बंशी पुत्र घासी, जाति माली, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. रामपाल पुत्र घांसी
2. गोपी पुत्र घांसी
3. नानगराम पुत्र घांसी
4. चन्दालाल पुत्र घांसी
5. मंगला पुत्र फत्ता
6. गुल्ला पुत्र फत्ता
7. रूघनाथ पुत्र फत्ता
8. हनुमान पुत्र फत्ता

   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, चौमूं, जिला जयपुर।
11. राजस्थान मरूधराम ग्रामीण बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमूं, जिला जयपुर।
12. सिंडिकेट बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमूं, जिला जयपुर।
13. केनरा बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमूं, जिला जयपुर।

वाद बाबत् तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 47/2016

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू अशोक कुमार योगी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :-

वादी द्वारा पूर्व मे वाद के लम्बित रहते हुए न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छुपाते हुये नया वाद प्रस्तुत किया है जबकि एक ही वादग्रस्त आराजी को लेकर उसी पक्षकार द्वारा नया वाद प्रस्तुत नही किया जा सकता। वादी को समस्त तथ्यों का भली भाती ज्ञान होने के बावजूद तथ्यों को छुपाते हुए नवीन वाद प्रस्तुत किया है जो विधि द्वारा वर्जित है। अतः अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी. में अर्न्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हों।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 16.05.2017 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ......

ओहदा.........

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोटः- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner